



उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून, 248008

दूरभाष न०- 0135-2682021, फ़ैक्स न०- 0135-2682180

ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: <http://uic.uk.gov.in>

पत्रांक 574 / उ०सू०अ० / 203 / 2025-26
सेवा में,

दिनांक 21.10.2025

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किये जाने वाले पत्राचारों में ई-मेल आई०डी० और मो०न० का उल्लेख किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1239/XXXI(15)G/22-06(सा०)/2016 दिनांक 25.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विभागों में नामित लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किये जाने वाले समस्त पत्राचार में पत्र प्रेषित करने वाले का नाम, पत्राचार के पते में डाकघर के पिनकोड और कार्यालय का दूरभाष नम्बर, अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई०डी० अंकित कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग में प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों और शिकायतों के नोटिस, अंतरिम/अंतिम आदेश और सुनवाई की तिथि में संशोधन की सूचना वर्तमान में पक्षकारों को डाक के माध्यम से प्रेषित किये जाते हैं। आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उक्त की सूचना ई-मेल और मो०न० के द्वारा उपलब्ध कराये जाने की सुविधा उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपना ई-मेल और मो०न० सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किये जाने वाले पत्राचारों में न किये जाने के कारण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से द्वितीय अपील/शिकायत से संबंधित सूचना प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

आयोग के द्वारा प्रेषित पत्र डाक विभाग के द्वारा समय पर उपलब्ध न कराये जाने और डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित किये जाने पर हो रहे अत्यधिक व्यय के दृष्टिगत मा० आयोग के द्वारा निर्णय लिया गया है कि भविष्य में आयोग के द्वारा प्रेषित किये जाने वाले समस्त पत्र लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाएंगे और लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों को इसकी सूचना उनके मोबाइल नम्बर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

आयोग के द्वारा लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रेषित किये जाने वाले समस्त पत्र ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किये जा सकें और उसकी सूचना उनके मोबाइल नम्बर पर भी प्रदान की जा सके इस हेतु कृपया अपने स्तर से विभाग में नामित समस्त सहायक लोक सूचना अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किये जाने वाले समस्त पत्राचार में वे अपना मोबाइल नम्बर और ई-मेल आई०डी० का अंकन अवश्य करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)

मुख्य सूचना आयुक्त